IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मुस्लिम विधि के अंतर्गत बाल विवाह एवं पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन, मूल अधिकारों का हनन – एक संवैधानिक अध्ययन

अमोल मेश्राम

शोधार्थी स्कूल ऑफ़ लॉ विक्रम वि. वि. उज्जैन म. प्र

डॉ. maमनीन्द्र कुमार सिंह

सहायक प्राध्यापक

शासकीय विधि महाविद्यालय उज्जैन म. प्र.

1. Abstract (सारांश)-

यह शोध पत्र "मुस्लिम विधि के अंतर्गत बाल विवाह एवं पोक्सो एक्ट का उल्लंघन मूल अधिकारों का हनन एक संवैधानिक अध्ययन विषय पर आधारित है इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम पर्सनल लॉ में बाल विवाह की मान्यता और भारतीय विधिक ढांचे, विशेषकर पोक्सो एक्ट **(Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012)** के बीच उत्पन्न टकराव का विश्लेषण करना है।

अध्ययन यह दर्शाता है कि जहां मुस्लिम विधि यौवन **(Puberty)** को विवाह का आधार मानती है, वहीं भारतीय कानून **18** वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा मानता है और उसके साथ यौन संबंध को अपराध घोषित करता है। यह टकराव भारत के संविधान के अनुच्छेद **14**,अनुच्छेद **15** और अनुच्छेद **21** के उल्लंघन की ओर संकेत करता है।

यह शोध पत्र न्यायालयीन निर्णयों, विधिक प्रावधानों तथा सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकालता है कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक बुराई है, बल्कि यह संवैधानिक मूल्यों के भी विरुद्ध है।

मुख्य शब्द (Key word)- बाल विवाह. पोक्सो एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955. बी. एन. एस. 2023

2. Research Methodology (अनुसंधान पद्धति)-

यह शोध **Doctrinal Research Method** पर आधारित है, जिसमें द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है।

✓ (A) अनुसंधान का प्रकार-

- विश्लेषणात्मक **(Analytical)**
- वर्णनात्मक **(Descriptive)**

✓ (B) डेटा के स्रोत-

1. **प्राथमिक स्रोत (Primary Sources)-**
    - Prohibition of Child Marriage Act, 2006
    - Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012
    - जे.एन.पाण्डेय, भारत का संविधान
    - सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के निर्णय
2. **द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources)-**
    - पुस्तकें **(Mulla, Tahir Mahmood)**
    - रिसर्च पेपर एवं जर्नल
    - सरकारी रिपोर्ट **(Law Commission, NFHS)**

✓ (C) अनुसंधान की विधि-

- Case Law Analysis
- Comparative Study (Muslim Law vs Statutory Law)
- Constitutional Interpretation

3. Hypothesis (परिकल्पना)- इस शोध पत्र की मुख्य परिकल्पनाएँ निम्नलिखित हैं:-

1. मुस्लिम विधि के अंतर्गत बाल विवाह की मान्यता, भारतीय विधिक व्यवस्था से टकराव उत्पन्न करती है।
2. पोक्सो एक्ट के प्रावधान बाल विवाह के मामलों में लागू होते हैं, चाहे विवाह वैध क्यों न माना जाए।
3. बाल विवाह मूल अधिकारों, विशेषकर समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है।
4. न्यायपालिका ने बाल अधिकारों को धार्मिक स्वतंत्रता पर प्राथमिकता दी है।

4. Research Questions (अनुसंधान प्रश्न)-

- क्या मुस्लिम विधि के अंतर्गत बाल विवाह संवैधानिक रूप से वैध है?
- क्या पोक्सो एक्ट विवाह के भीतर भी लागू होता है?
- क्या धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकारों से ऊपर हो सकती है?
- क्या समान नागरिक संहिता इस समस्या का समाधान हो सकती है?

5 . प्रस्तावना-

भारतीय समाज में बाल विवाह एक गंभीर और सामाजिक समस्या के रूप में विद्यमान है, जो विशेष रूप से बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करती है भारत जैसे बहु-धार्मिक देश में व्यक्तिगत विधियों का विशेष महत्व है, जिनमें मुस्लिम विधि (Muslim Law) भी शामिल है, मुस्लिम विधि में विवाह को एक सिविल अनुबंध (Civil Contract) माना गया है और इसमें यौवन (Puberty) को विवाह की पात्रता का आधार माना जाता है,दूसरी ओर, भारतीय विधिक प्रणाली ने बाल विवाह को रोकने हेतु कड़े कानून बनाए हैं, जैसे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 तथा बच्चों के यौन शोषण से सुरक्षा हेतु यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम.2012

यह शोध पत्र मुस्लिम विधि और यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम.2012 के बीच उत्पन्न टकराव का संवैधानिक विश्लेषण करता है तथा यह जांचता है कि क्या इस प्रकार के बाल विवाह मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

5.1 यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम.2012 बनाम व्यक्तिगत कानून-

किसी अपराध को गठित करने के लिए दो मुख्य तत्व होते हैं जिसे आपराधिक इरादा (मेंस रिया) और कृत्य (एक्टस रिया) कहते है लेकिन इस विचित्र मामले में, पीड़िता की वैवाहिक स्थिति और धर्म यह निर्धारित करने वाले कारक बन जाते हैं कि कृत्य अपराध है या नहीं ऐसे मामलों में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या नाबालिग लड़की के साथ वैवाहिक संबंध बनाना, बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम) के तहत , bhartiy भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 375 जो अब बी. एन. एस. 2023 की धारा 63 पढ़े जाने पर , "प्रवेशी यौन हमला" कहलाता है।

धारा 375 (IPCIIPC 1860) में उल्लिखित अपवादों के अनुसार, जो "बलात्कार" को परिभाषित करती है, वो इस प्रकार है की यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ, जिसकी आयु 15 वर्ष से कम नहीं है, उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाता है, तो उसे बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने **इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया** मामले में ऐतिहासिक फैसले में पत्नी की आयु सीमा को बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया, जिसके तहत अब पत्नी 18 वर्ष से

कम होने पर पति सहमति के बावजूद यौन संबंध बनाने पर बलात्कार का दोषी होगा, जो अब बी. एन. एस. 2023 की धारा 63 है में उल्लिखित है, न्यायालय ने कहा केवल इसलिए कि 15 से 18 वर्ष की आयु की किसी लड़की की शादी हो जाती है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह बच्ची नहीं रह जाती या मानसिक या शारीरिक रूप से यौन संबंध बनाने या किसी अन्य यौन गतिविधि और वैवाहिक संबंधों में लिप्त होने में असमर्थ हो जाती **है (स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ , (2017) 10 एससीसी 800, 821)**

सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र विचार मामले **(इंडिपेंडेंट थॉट 2017, 10 एससीसी 800)** में फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 **(हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 , धारा 5(iii)) की धारा 5(iii)** और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत वैध विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु महिलाओं के मामले में 18 वर्ष है सुप्रीम कोर्ट ने विवाह की न्यूनतम आयु और आईपीसी की धारा 375 जो अब बी. एन. एस. 2023 की धारा 63 में दिए गए अपवाद के बीच सीधा संबंध बताया है, इसलिए, न्यायालय ने माना कि चूंकि विभिन्न कानूनों के तहत महिलाओं के मामले में विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, इसलिए पति-पत्नी के बीच कोई भी यौन संबंध बलात्कार माना जाना चाहिए यदि यह तब हुआ हो जब पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की हो इस ऐतिहासिक फैसले **(स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ , (2017) 10 एससीसी 800)** का सीधा परिणाम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ उसकी सहमति के बावजूद यौन संबंध बनाता है, तो उसे बलात्कार का दोषी ठहराया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी (या 18 वर्ष से कम आयु के किसी अन्य बच्चे) के साथ बलात्कार का दोषी पाया जाता है, तो उसे बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया जाएगा **(बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012) पोक्सो** अधिनियम की धारा 4**(बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 , धारा 4)** में बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न के लिए अधिकतम सात वर्ष की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

बाल विवाह के अभिशाप को इंडिपेंडेंट थॉट **(स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ , (2017) 10 एससीसी 800)** के प्रभाव से काफी हद तक दंडित किया गया है क्योंकि यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति पर यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम,2012 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा हालांकि, यह एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न बन जाता है कि क्या यह निर्णय विवाह संबंधी व्यक्तिगत कानूनों के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है।

यह शोध मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर विशेष जोर देते हुए, यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 पर निजी कानूनों के प्रभाव का विश्लेषण करता है यह निर्धारित करेगा कि क्या मुस्लिम कानून के तहत विवाह संपन्न होने के बाद, यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की है, तो पति पर यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम,2012 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

5.2 मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम,2012 का अनुप्रयोग-

भारत में विवाह प्रत्येक धर्म के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं मुसलमानों के बीच विवाह मुस्लिम व्यक्तिगत कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं मुस्लिम व्यक्तिगत कानून कोई संहिताबद्ध कानून नहीं है, बल्कि यह इस्लामी कानून के स्रोतों, विशेष रूप से कुरान और हदीस पर आधारित है मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अनुसार, लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु यौवन प्राप्त करने पर निर्धारित की जाती है मुस्लिम कानून के प्रमुख लेखक सर दिनशॉ फरदुंजी मुल्ला ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक " मुल्ला के इस्लामी कानून के सिद्धांत " के अनुच्छेद 195 में कहा है, "प्रमाण के अभाव में, पंद्रह वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यौवन प्राप्त करना मान लिया जाता है।"**(सर दिनशॉ फरदुंजी मुल्ला, मुल्ला के मुस्लिम कानून के सिद्धांत , (लेक्सिसनेक्सिस इंडिया)** अतः, सामान्यतः यह माना जा सकता है कि यौवन की न्यूनतम आयु, जब तक कि यौवन की आयु भिन्न न हो, पंद्रह वर्ष है।

शरिया के अनुसार, एक बार जब कोई मुसलमान किसी महिला से विवाह करता है, तो वह उसकी पत्नी बन जाती है और उसे पति के सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं इसके अलावा, यदि वे सहमत हों, तो दंपति किसी भी समय शादी करके अपने नए घर में जा सकते हैं हालांकि, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे शादी के लाभों का आनंद लेने के लिए इस समय को यथासंभव आधा कर लें - जब तक कि कोई अत्यावश्यक मुद्दा न हो, जैसे कि घर का साज-सज्जा, पढ़ाई जैसी अन्य गतिविधियों में व्यस्त होना, या अन्य बाधाएं जो वैवाहिक संबंध को स्थगित कर सकती हैं ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह संपन्न हो जाता है, तो क्या पति बलात्कार का दोषी माना जाएगा ? यह कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसका सकारात्मक निर्णय यह साबित करेगा कि यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम,2012 मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर हावी रहेगा।

हिंदू और मुस्लिम विवाहों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि यदि कोई हिंदू लड़की 18 वर्ष की आयु से पहले शादी करती है और शादी के दौरान यौन संबंध बनाती है, तो पति को यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम,2012 के तहत यौन उत्पीड़न का दोषी माना जाएगा, चाहे यौन संबंध सहमति से हुआ हो या बिना सहमति के।

विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई परस्पर विरोधी निर्णय हैं जो इस प्रश्न से संबंधित हैं कि क्या यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम,2012 मुस्लिम विवाह संबंधी व्यक्तिगत कानून पर अधिभावी प्रभाव डालेगा।

5,3. मुस्लिम विधि में बाल विवाह और भारतीय विधिक ढांचा-

मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह (निकाह) एक अनुबंध है, जिसमें प्रस्ताव (Ijab) और स्वीकृति (Qubool) आवश्यक होते हैं इस विधि के अनुसार, विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, बल्कि यौवन (Puberty) को आधार माना गया है, जो सामान्यतः 15 वर्ष मानी जाती है, अभिभावक (Wali) को नाबालिग के विवाह का अधिकार होता है साथ ही, मुस्लिम विधि में "ख़ियार-उल-बुलूग" (Option of Puberty) का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत बालिग होने पर व्यक्ति विवाह को अस्वीकार कर सकता है।

हालांकि, यह प्रावधान व्यवहार में कमजोर साबित होता है क्योंकि सामाजिक दबाव और जागरूकता की कमी के कारण बालिकाएं अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती हैं भारत में बाल विवाह को रोकने हेतु कई कानून बनाए गए हैं प्रमुख रूप से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को अवैध घोषित किया गया है और इसमें दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं।

इस अधिनियम के अनुसार:

- लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष
- लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष

यह कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य बाल विवाह को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है इसी प्रकार यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम,2012 (**Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012)** का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना है इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को "Child" माना गया है, सहमति (Consent) का कोई महत्व नहीं है यदि आयु 18 वर्ष से कम है एवं वैवाहिक संबंध के भीतर भी यौन संबंध अपराध हो सकता है इस प्रकार, यदि किसी बालिका का विवाह मुस्लिम विधि के अंतर्गत 18 वर्ष से पहले होता है, तो उसके साथ यौन संबंध यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम,2012 (पोक्सो एक्ट 2012) के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आ सकता है बाल विवाह न केवल सामाजिक समस्या है, बल्कि यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त **मूल अधिकारों** का भी उल्लंघन करता है-

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देने की बात करता है, बाल विवाह एवं यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 जो बालक और बालिकाओं के साथ असमान व्यवहार को रोकता है |
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 जो भेदभाव का निषेध करने की बात करता है ,यह लिंग आधारित भेदभाव को प्रोत्साहित होने से रोकता है।

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 जो जीवन और स्वतंत्रता हर व्यक्ति को देने की बात करता है जो कहता है की बाल विवाह से बालको का स्वास्थ्य, शिक्षा और गरिमा प्रभावित होती है
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 जो धर्म की स्वतंत्रता देता है ,यह प्रश्न उठता है कि क्या धार्मिक प्रथाएं मूल अधिकारों से ऊपर हो सकती हैं

5.4 नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी अमान्य यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) व्यक्तिगत विधि पर हावी -

एक नाबालिग मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर विचार करते हुए, **कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में इस तर्क को खारिज कर दिया कि** एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी यौवन (15 वर्ष की आयु) प्राप्त करने के बाद विवाह **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006** का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी।

जस्टिस राजेंद्र बादामीकर की पीठ ने आगे कहा कि यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 (**पॉक्सो एक्ट)** एक विशेष अधिनियम है और यह पर्सनल लॉ को ओवरराइड करता है और इस अधिनियम के अनुसार, यौन सम्बन्ध बनाने और सहमती से यौन प्रतिक्रिया में शामिल होने की आयु 18 वर्ष है। यह आदेश **पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट** द्वारा दिए गए उस आदेश के कुछ दिनों बाद आया है जहां हाईकोर्ट ने माना है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की मुस्लिम महिला अपनी मर्जी और सहमति से अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है, और इस तरह की शादी **बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा** 12 के संदर्भ में अमान्य नहीं होगी।

6. न्यायालयीन दृष्टिकोण एवं न्यायायिक निर्णय-

दिल्ली उच्च न्यायालय ने **फिजा बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 2527** के फैसले में यह माना कि जहां आरोपी, जो एक मुस्लिम था, ने अपनी 18 वर्ष से कम आयु की मुस्लिम पत्नी के साथ विवाह के दौरान यौन संबंध बनाए थे, वह यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दोषी नहीं था क्योंकि व्यक्तिगत कानून विशेष कानूनों पर अधिभावी होता है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले को **मोहम्मद इमरान खान बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (2011) 10 एससीसी 192** के फैसले से अलग बताया , जिसमें न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था इस मामले में न्यायालय ने कहा कि यौन संबंध विवाह के दौरान नहीं बल्कि लड़की से शादी करने के वादे की आड़ में हुए थे, इसलिए यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 लागू होगा।

अलीम पाशा बनाम कर्नाटक राज्य मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है और इसलिए, इसका मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर अधिभावी प्रभाव होगा न्यायालय ने कहा कि पोक्सो अधिनियम के तहत किसी

व्यक्ति को यौन उत्पीड़न का दोषी माना जाएगा यदि पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम है, भले ही यौन संबंध विवाह के दौरान हुआ हो जमानत की मांग कर रही याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि चूंकि इस मामले में लड़की यौवन अवस्था में पहुंच चुकी है और मुस्लिम कानून के अनुसार 15 वर्ष की आयु में विवाह के लिए यौवन अवस्था एक शर्त है, इसलिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9 और 10 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

उच्च न्यायालय ने इस तर्क से कड़ा असहमति जताते हुए कहा कि यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 व्यक्तिगत कानून से ऊपर है और यौन गतिविधि में शामिल होने की आयु 18 वर्ष है कर्नाटक उच्च न्यायालय ने **राहुल बनाम कर्नाटक राज्य** मामले में भी यह कहा है कि यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर हावी होगा।

केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ और बाल विवाह (Child Marriage) को लेकर एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी बात कही कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी मुस्लिम है, तब भी उसपर पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) लागू होता है पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिमों के बीच हुई शादी पॉक्सो एक्ट के दायरे से बाहर नहीं है. पति अगर नाबालिग पत्नी के साथ संबंध बनाता है, तो उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है.

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की सिंगल बेंच ने एक आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया कि अगर लड़की नाबालिग है, तो पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध लागू होगा. कोर्ट ने 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. पीड़ित पक्ष के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग युवती को अगवा कर कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया बाद में 31 वर्षीय व्यक्ति ने नाबालिग से शादी कर ली, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अगर विवाह में से एक पक्ष नाबालिग है, तो विवाह की वैधता के बावजूद पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध मान्य होंगे।

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने फैसला सुनाया है कि व्यक्तिगत कानून के तहत मुसलमानों के बीच विवाह को पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के दायरे से बाहर नहीं किया गया है केरल हाईकोर्ट ने **जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2022 LiveLaw (PH) 276)** में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला **फिजा और अन्य बनाम दिल्ली राज्य सरकार और अन्य (2022 LiveLaw)** में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, **मोहम्मद वसीम अहमद बनाम राज्य (2022 LiveLaw (Kar) 436)** में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताई

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम,2012 सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सहमति की उम्र के संबंध में मुस्लिम व्यक्तिगत विधि को ओवरराइड (या हावी होता है) करता है और इसलिए, नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ शादी के बाद सम्बन्ध बनाने को यौन अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 में (पॉक्सो अधिनियम) Act छूट नहीं दी जाएगी। ***[अलीम पाशा बनाम कर्नाटक राज्य]।***

दस साल पहले पॉक्सो अधिनियम लागू होने के बाद से, देश भर के उच्च न्यायालय इस मुद्दे से जूझ रहे हैं – यदि 18 वर्ष से कम आयु की कोई लड़की अपने निजी या पारंपरिक कानून के अनुसार किसी पुरुष से विवाह करती है और उसके साथ

यौन संबंध बनाती है, तो क्या उस पुरुष पर पॉक्सो के तहत यौन उत्पीड़न का मुकदमा चलाया जाना चाहिए? पॉक्सो अधिनियम में एक सर्वोपरि प्रावधान (धारा 42A) होने के कारण, इस मुद्दे का उत्तर स्पष्ट रूप से 'हाँ' होना चाहिए था। फिर भी, जैसा कि देखा गया है, लड़की की सहमति के मुद्दे पर विसंगति के कारण उच्च न्यायालयों ने विरोधाभासी रुख अपनाया है।

पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) क्या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी प्रकार के यौन संबंध के लिए सहमति देने का कोई प्रावधान करती है, जैसा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी स्पष्ट किया था वास्तव में, *इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में,* सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी के उस अपवाद को निरस्त कर दिया, जो 15 से 18 वर्ष की आयु की महिला पत्नी और पुरुष के बीच यौन संबंध को बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखता था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह अपवाद विवाहित और अविवाहित लड़की के बीच कृत्रिम भेद पैदा करता है और उसके हित में नहीं है, इसलिए 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के लिए वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया। इस प्रकार, इस फैसले ने पीओसीएसओ और आईपीसी के दिल्ली उच्च न्यायालय ने ***फिजा बनाम दिल्ली राज्य सरकार के मामले*** में याचिकाकर्ताओं (नाबालिग लड़की और उसके पति) को लड़की के परिवार से सुरक्षा प्रदान की, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत कानून के तहत कानूनी रूप से विवाह किया था और आपसी सहमति से यौन संबंध बनाए थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि न्यायालय का मानना था कि याचिकाकर्ताओं को, जो स्पष्ट रूप से एक-दूसरे से प्यार करते थे और अपने कार्यों से पूरी तरह अवगत थे, अलग करने का कोई उद्देश्य नहीं था और इससे लड़की की सुरक्षा के बजाय उसे नुकसान ही होगा।

प्रत्येक अच्छे कानून का मसौदा तैयार करते समय और उसकी व्याख्या करते समय न केवल उसकी आवश्यकता, बल्कि उस समय की सामाजिक वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों पर लागू नहीं माना गया है, क्योंकि शरिया कानून के अनुसार यौवन प्राप्त कर चुकी लड़की का विवाह वैध है। हालांकि, यह कानून विवाह करने वाले पक्ष के बच्चे होने पर उसे रद्द करने की अनुमति देता है। बच्चे की सहमति को मान्यता दी जाती है और बच्चे को वयस्क होने से पहले या बाद में भी विवाह को रद्द करने का अधिकार है।

7. सुधार एवं सुझाव-

मुस्लिम विधि और पोक्सो एक्ट के बीच स्पष्ट टकराव है की मुस्लिम विधि यौवन आधारित विवाह है जबकि पोक्सो एक्ट 18 वर्ष से कम आयु में यौन संबंध अपराध की श्रेणी में रखा गया है, यह टकराव धार्मिक स्वतंत्रता और बाल अधिकारों के बीच संतुलन की चुनौती प्रस्तुत करता है यूनाइटेड नेशन द्वारा बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु कई संधियाँ बनाई गई हैं, जैसे यू. एन. सी. आर. सी.(UNCRC) भारत इन संधियों का हस्ताक्षरकर्ता है, जिससे यह बाध्य होता है कि वह बाल विवाह जैसी प्रथाओं को समाप्त करे।

कानूनों में एकरूपता लाना आवश्यक हो गया है साथ ही बालिकाओ की शिक्षा को बढ़ावा देना समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाना आवश्यक है सरकार को एकजुट होकर समान नागरिक संहित **(Uniform Civil Code)** पर विचार करना चाहिए और जहा सामाजिक एवं व्यावहारिक समस्याओ का प्रश्न है ज्यादातर समाज ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है जहा जागरूकता की कमी, शिक्षा का अभाव, सामाजिक परंपराएं और दबाव को देखा गया है

8 . निष्कर्ष-

यह स्पष्ट है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत बाल विवाह और पोक्सो एक्ट के बीच टकराव न केवल विधिक बल्कि संवैधानिक समस्या भी है बाल विवाह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसे समाप्त करना आवश्यक है। राज्य का कर्तव्य है कि वह बच्चों के अधिकारों की रक्षा करे और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ संतुलन बनाए।

विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है की दिल्ली और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों ने कानून का प्रश्न खड़ा कर दिया है, जिसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए पोक्सो अधिनियम एक विशेष कानून है जिसका उद्देश्य सीमित और विशिष्ट है यह अधिनियम किसी विशेष धर्म या आस्था तक सीमित नहीं है इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सशक्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है यदि पोक्सो अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों के अधीन कर दिया जाता है, तो अधिनियम का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट **के इंडिपेंडेंट थॉट (2017) 10 एससीसी 800** फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आईपीसी की धारा 375 के उद्देश्य से 18 वर्ष से कम आयु की विवाहित और अविवाहित लड़की के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पीओसीएसओ अधिनियम के उद्देश्य से 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव उसी असमानता को जन्म देगा जिसे **इंडिपेंडेंट थॉट. (2017) 10 एससीसी 800** ने ध्वस्त कर दिया था | **बॉम्बे राज्य बनाम नरसु अप्पा माली** के ऐतिहासिक फैसले में निर्धारित कानून कहता है कि व्यक्तिगत कानूनों को मौलिक अधिकारों की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 13 एवं 21 के तहत "कानून" के अर्थ में व्यक्तिगत कानून शामिल नहीं होंगे हालांकि, **नरसु 1951 एससीसी ऑनलाइन बॉम 72** का अनुप्रयोग लागू नहीं होगा. क्योंकि यहां कानून का प्रश्न व्यक्तिगत कानूनों के अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है, बल्कि पोक्सो अधिनियम के अनुप्रयोग में मुस्लिम धर्म और अन्य धर्मों से संबंधित 18 वर्ष से कम आयु की विवाहित लड़कियों के बीच बनाए गए भेदभाव से संबंधित है यह असमानता इस तथ्य से उत्पन्न नहीं होती कि इसका व्यक्तिगत कानून पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इस स्थिति से उत्पन्न होती है कि भेदभाव का प्रभाव धर्म के आधार पर असमानता पैदा करता है, जिससे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है (**भारत का संविधान , अनुच्छेद 14 के अनुसार)** इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने अब ऐतिहासिक **सबरीमाला फैसले इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य , (2019) 11 एससीसी 1** में यह निर्धारित किया है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों का परीक्षण किया जा सकता है।

इसलिए, **फ़िज़ा. 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 2527** मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय **इंडिपेंडेंट थॉट (2017) 10 एससीसी 800** में प्रतिपादित कानून के विरुद्ध है अतः **अलीम पाशा 2022 एससीसी ऑनलाइन कर 1588** मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार स्वतंत्रता और गरिमा की संवैधानिक भावना को धारण करते हैं और यही देश का कानून होना चाहिए यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून होने के नाते, पोक्सो अधिनियम की भावना की रक्षा की जानी चाहिए इसलिए, पोक्सो अधिनियम का मुस्लिम पर्सनल लॉ पर सर्वोपरि प्रभाव होना चाहिए।

9 . Bibliography (संदर्भ सूची)-

1. Prohibition of Child Marriage Act, 2006, § 2(a), § 3.
2. Child Marriage Restraint Act, 1929.
3. Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, § 3, § 5.
4. Indian Penal Code, 1860, § 375 (Exception 2 – prior to judicial interpretation).
5. Article 14,15,21,& 25of the Indian Constitution LawLaw of JN Pandey
6. Mulla, *Principles of Mohammedan Law*, 22nd Edition.
7. Tahir Mahmood, *Muslim Law in India and Abroad*, Universal Law Publishing.
8. Flavia Agnes, *Family Law in India*.
9. United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989.
10. Law Commission of India, 205th Report on Child Marriage (2008).
11. National Family Health Survey (NFHS-5), Government of India.

(A) Books (पुस्तकें)-

- Mulla, *Principles of Mohammedan Law*
- Tahir Mahmood, *Muslim Law in India and Abroad*
- Flavia Agnes, *Family Law in India*

(B) Articles & Reports-

- Law Commission of India, 205th Report (2008)
- National Family Health Survey (NFHS-5)
- UNICEF Reports on Child Marriage

(C) References- 1. Mohd. Abdul Samad Vs The State of Telangana & Anr., Criminal Appeal No. 2842 of 2024

2 M/s. Jain Ink Manufacturing Company Vs LIC of India and Another(1980)
3. Chennupati Kranthi Kumar Vs State of A.P and Others(2023) 8 SCC 251
4. Danial Latifi and Another Vs Union of India(2001) 7 SCC 740
5. Iqbal Bano Vs State of Uttar Pradesh and Another(2007) 6 SCC 785
6. Shri Bhagwan Dutt Vs Smt. Kamla Devi and Another(1975) 2 SCC 386
7. Indrajit Kaur Vs Union of India and Others(1990) 1 SCC 344
8. Fuzlunbi Vs K Khader Vali and Another(1980) 4 SCC 125(SC)
9. Mohd. Ahmed Khan Vs Shah Begum and Others(1985) 2 SCC 556
10. Shabana Bano Vs Imran Khan(2010) 1 SCC 666
11. Khatoon Nisa Vs State of Uttar Pradesh and Others(2014) 12 SCC 646
12. Shamim Bano Vs Asraf Khan(2014) 12 SCC 636
13. Shamima Farooqui Vs Shahid Khan(2015) 5 SCC 705
14. Shahid Jamal Ansari Vs State of Uttar Pradesh(2008) SCC Online All 1077
15. CRPC & Personal Law: Divorced Muslim women's right to Alimony By Ajoy Sinha Karpuram, The Indian Express, July 11, 2024